

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय  
(बजट सत्र, 2021)

(22.02.2021 से 26.03.2021 तक)

प्रश्नोत्तरों के लिये विभागों के वर्ग, प्रत्येक विभाग के लिए प्रभारी मंत्री, उत्तर के लिए निश्चित दिनांक तथा उस दिनांक के लिए प्रश्नों की सूचना देने का अंतिम दिनांक दर्शाने वाला विवरण

विभाग का नाम	प्रभारी मंत्री	उत्तरों के लिए निश्चित दिनांक	प्रश्नों की सूचना देने का अंतिम दिनांक	
			ऑनलाईन	ऑफलाईन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
वर्ग-1				
लोक निर्माण	लोक निर्माण मंत्री			
कुटीर एवं ग्रामोद्योग	-----			
खेल एवं युवा कल्याण	खेल एवं युवा कल्याण मंत्री	23.02.2021	27.01.2021	28.01.2021
तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	-----	02.03.2021	03.02.2021	04.02.2021
किसान कल्याण एवं कृषि विकास	किसान कल्याण मंत्री	09.03.2021	10.02.2021	11.02.2021
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन	औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री	18.03.2021	18.02.2021	19.02.2021
पंचायत और ग्रामीण विकास	पंचायत मंत्री	25.03.2021	25.02.2021	26.02.2021
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण	राज्य मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>वर्ग-2</b>				
सामान्य प्रशासन	मुख्यमंत्री			
जनसम्पर्क	----"----			
नर्मदा घाटी विकास	----"----			
विमानन	----"----			
अप्रवासी भारतीय	----"----			
महिला एवं बाल विकास	----"----			
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	----"----	24.02.2021	28.01.2021	29.01.2021
वित्त	वित्त मंत्री	03.03.2021	04.02.2021	05.02.2021
वाणिज्यिक कर	----"----	10.03.2021	11.02.2021	12.02.2021
योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी	----"----	19.03.2021	21.02.2021	22.02.2021
सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम	सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री	26.03.2021	28.02.2021	01.03.2021
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	----"----			
पर्यटन	पर्यटन मंत्री			
संस्कृति	----"----			
अध्यात्म	----"----			
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री			
<b>वर्ग-3</b>				
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	खाद्य मंत्री			
जल संसाधन	जल संसाधन मंत्री			
मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास	----"----	25.02.2021	29.01.2021	30.01.2021
राजस्व	राजस्व मंत्री	04.03.2021	05.02.2021	06.02.2021
परिवहन	----"----	15.03.2021	16.02.2021	17.02.2021
खनिज साधन	खनिज साधन मंत्री	22.03.2021	23.02.2021	24.02.2021
श्रम	----"----			
सहकारिता	सहकारिता मंत्री			
लोक सेवा प्रबंधन	----"----			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>वर्ग-4</b>				
गृह	गृह मंत्री			
जेल	----"----			
संसदीय कार्य	----"----			
विधि एवं विधायी कार्य	----"----	26.02.2021	29.01.2021	30.01.2021
नगरीय विकास एवं आवास	नगरीय विकास एवं आवास मंत्री	05.03.2021	05.02.2021	06.02.2021
		16.03.2021	17.02.2021	18.02.2021
ऊर्जा	ऊर्जा मंत्री	23.03.2021	24.02.2021	25.02.2021
नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री			
पर्यावरण	----"----			
उच्च शिक्षा	उच्च शिक्षा मंत्री			
आयुष	राज्य मंत्री, आयुष			
<b>वर्ग-5</b>				
वन	वन मंत्री			
जनजातीय कार्य	जनजातीय कार्य मंत्री			
अनुसूचित जाति कल्याण	----"----			
पशुपालन एवं डेयरी	पशुपालन मंत्री	01.03.2021	02.02.2021	03.02.2021
सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण	----"----	08.03.2021	09.02.2021	10.02.2021
		17.03.2021	18.02.2021	19.02.2021
चिकित्सा शिक्षा	चिकित्सा शिक्षा मंत्री	24.03.2021	25.02.2021	26.02.2021
भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास	----"----			
स्कूल शिक्षा	राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा			
पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण	राज्य मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण			
विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण	----"----			

भोपाल :  
दिनांक : 22.01.2021

ए.पी. सिंह  
प्रमुख सचिव,  
मध्यप्रदेश विधान सभा.

नोट -

1. कृपया प्रश्न यथा समय टंकित कराकर दें। साथ ही वर्ग, प्रश्न पूछने की बैठक का दिनांक, विभाग का नाम, विषय, "श्री....." में प्रश्नकर्ता सदस्य का नाम, संबंधित मंत्री का पदनाम, सदस्य के हस्ताक्षर, क्षेत्र क्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख करने के साथ ही प्रश्न को आवश्यकतानुसार क, ख, ग, घ इत्यादि भागों में विभक्त करने का कष्ट करें।
2. कृपया उपर्युक्त चक्रानुक्रम चार्ट अनुसार प्रश्नों की सूचना नवीन प्रश्न प्रपत्र (पंचदश विधान सभा) श्रृंखला 'ग' के प्रपत्रों में ही टंकित कर विधान सभा सचिवालय को प्रेषित करें। पूर्व श्रृंखला के प्रश्न प्रपत्र मान्य नहीं किये जायेंगे।
3. विवरण के स्तम्भ (3) से (5) में उल्लेखित दिनांक स्तम्भ (1) में दिये गये विभागों के सम्पूर्ण वर्ग को लागू होंगी।
4. ऑफलाइन सूचनाएं विधान सभा सचिवालय में (शासकीय अवकाश को छोड़कर) कार्यालय समय में 11.00 बजे दिन से 4.30 बजे दिन के बीच ही प्राप्त की जावेंगी तथा ऑनलाईन सूचनाएं स्तम्भ (4) में उल्लेखित दिनांक को रात्रि 12.00 बजे तक प्राप्त की जावेंगी।